

[TO BE PUBLISHED IN PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA]

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 15th July, 2010.

Notification
(INCOME-TAX)

S.O. Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section(4) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)(hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes) number S.O. 51(E), dated the 8th January, 2008;

And whereas M/s. Infinity Infotech Parks Limited, having its registered address at Infinity, Plot A-3, Block-GP, Sector-V, Salt Lake Electronics Complex, Kolkata-700091, has developed an Industrial Park at Plot No. G-1, Block-GP, Sector V, Salt Lake Electronics Complex, Kolkata-700091;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the said Act read with rule 18 C of the Income Tax Rules, 1962, and subject to the provisions of Industrial Park Scheme, 2008 the Central Government hereby notifies M/s. Infinity Infotech Parks Limited, Kolkata as an undertaking and the project at Plot No. G-1, Block-GP, Sector V, Salt Lake Electronics Complex, Kolkata-700091, being developed and maintained and operated by the said undertaking, as an industrial park for the purposes of the said clause.

2. The date of commencement of the aforesaid Industrial Park is 28th March, 2008.

3. The notification will be invalid and M/s. Infinity Infotech Parks Limited shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if -

- (i) the application and subsequent documents furnished by it, on the basis of which the notification is issued by the Central Government contains wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it;
- (ii) it is for the location of the industrial park for which notification has already been issued in the name of another undertaking.

4. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the industrial park.

[Notification No. 54/2010 F.No. 178/30/2009-ITA-I]



(PADAM SINGH)

Under Secretary to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

[भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना
(आयकर)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई, 2010

का.आ. जबकि केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) [जिसे बाद में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया] की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 51 (अ), दिनांक 8 जनवरी, 2008 के तहत औद्योगिक पार्क के लिए स्कीम निर्मित एवं अधिसूचित किया है;

और जबकि मैसर्स इनफिनिटी इंफोटेक पार्क लिमिटेड, जिसका पंजीकृत पता इनफिनिटी, प्लॉट ए-3, ब्लाक-जीपी, सेक्टर V, साल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक्स काम्प्लेक्स, कोलकाता-700091 में है, ने प्लॉट सं. जी-1, ब्लाक जीपी, सेक्टर V, साल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक्स काम्प्लेक्स, कोलकाता-700091 में एक औद्योगिक पार्क विकसित किया है;

अतः अब आयकर नियमावली, 1962 के नियम 18 ग के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और औद्योगिक पार्क स्कीम, 2008 के उपबंधों के अधीन केन्द्र सरकार एतद्वारा मैसर्स इनफिनिटी इंफोटेक पार्क लिमिटेड, कोलकाता को एक उपक्रम तथा प्लॉट सं. जी-1, ब्लाक जीपी, सेक्टर V, साल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक्स काम्प्लेक्स, कोलकाता-700091 जिसे उक्त उपक्रम द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित एवं प्रचालित किया जा रहा है, के रूप में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

2. उपर्युक्त औद्योगिक पार्क के शुरू होने की तिथि 28 मार्च, 2008 है ।

3. अधिसूचना अवैध हो जाएगी तथा मैसर्स इनफिनिटी इंफोटेक पावर्स लिमिटेड, ऐसी अवैधता की किन्हीं प्रतिक्रियाओं के लिए मात्र जिम्मेदार होगी, यदि-

- (i) आवेदन तथा इसके द्वारा प्रस्तुत परवर्ती दस्तावेज जिनके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, में गलत सूचना/ झूठी जानकारी होगी अथवा कुछ वस्तुगत सूचना इसमें नहीं दी गई होगी ;
- (ii) यह औद्योगिक पार्क की अवस्थिति के लिए है जिसके हेतु एक अन्य उपक्रम के नाम से अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है ।

4. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना परियोजना प्लान में किसी संशोधन अथवा भविष्य में संसूचन अथवा आवेदक द्वारा किसी वस्तुगत तथ्य को उजागर न करने पर औद्योगिक पार्क का अनुमोदन अवैध हो जाएगा।

[अधिसूचना सं. 54/2010 फा.सं. 178/30/ 2009-आ.का.नि.-I]



(पदम सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के निकट), नई दिल्ली